्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी

भागीरथ राम

(आरटीएस)

मि.न. 53/17

दिनांक:7.9.17

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैरसायलान उपस्थित।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का. जयसिंहपुरा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि सवंत 2074में वाके ग्राम.करवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर के ख.न0 582/12.50किस्म जमीन.गै0 मु0 नदी मेंसे 0.001है0 पर मुंशी पुत्र जगदीश जाति कंजर निवासी करवास ने पुख्ता मकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया है।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को विधिवत एल0 आर0 एक्ट 1956 की धारा 91(3) के अन्तगर्त नोटिस दिये गये।नोटिस बाद तामिल संलग्न पत्रावली किये गए । सूचना उपरांत गैर सायल उपस्थित आये व जबाब पेश नहीं किया तथा ना ही कोई सबूत ,साक्ष्य पेश किया । अतः गैरसायल के विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गोर किया तो विवेचन पर पाया कि गैरसायल मुंशी पुत्र जगदीश जाति कंजर निवासी करवास द्वारा वाके ग्राम करवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर के ख. न0 582/12.50 किस्म जमीन.गै0 मु0 नदी मेंसे 0.001है0 पर पुख्ता मकान बनाकर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण स्वत ही सिद्व होता है अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है अगर अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

: मुंशी पुत्र जगदीश जाति कंजर निवासी करवास तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम.करवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर के खसरा नंबर 582/12.50 किस्म जमीन गै0 मु0 नदी मेंसे 0.001है0 पर अतिक्रमी घोषित करते हुए उक्त आराजियात पर निर्मित पुख्ता मकान को ध्वस्त किया जाकर अतिक्रमी को उक्त आराजियात से भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है । तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 0.02 रू का 50 गुणा 1 रू अर्थदण्ड के रूप मे जुर्माना किया जाता है।

वास्ते बेदखली व भू. अ. नि. व पटवारी हल्का को लिखा जावे। मांगकायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे। निर्णय अनुसार कार्यवाही पूर्ण होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम हो।

हुक्म आज दिनांक 7/9/2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

सं. 17-18 क पा. सं.
पृष्ठ 163 पर 12
... गये।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली